



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-930/MFIN/59/2023-SSW


दिनांक: 21/06/2023

श्री अजय सेठ
सचिव,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिल्ली 110001
(Email : secy-deal@nic.in)
(Tel. No: 23094075)

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ आर्थिक कार्य विभाग के पुस्तकालय सूचना अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार :- श्री शिवचरण लाल मीना, सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग का दिनांक 13.1.2023 का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री शिवचरण लाल मीना से दिनांक 13/01/2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' जारी कर सकता है।


(एच.आर.मीना/H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

श्री शिवचरण लाल मीना,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
(Mobile No:8700290386)

MC, NCST (please upload on the website)